ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 2145 /9–36/2020(मु0पत्रा0) दिनांक 11 . नवम्बर 2020

विषय– नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु ''स्वामित्व योजना'' के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचयती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु स्वामित्व योजना के कियान्वयन किये जाने के लिये भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के सम्बन्ध में परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये गये है। उन निर्देशों के कम में कतिपय जनपदों के द्वारा स्वामित्व योजना के कियान्वयन किये जाने में कतिपय पृच्छायें की गयी है एवं इस सम्बन्ध में परिषद स्तर से निर्देश मांगे गये हैं, तत्कम में परिषद पत्र संख्या 1102/9–36/2020(मु0पत्रा) दिनांक 16/20–7–2020, 21–8–2020 एवं परिषद पत्र संख्या 1698/ 9–36 (मु0पत्रा0) दिनांक 14–9–2020 के द्वारा परिषद स्तर से निर्देश निर्गत किये गये हैं , का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त परिषदादेश दिनांक 16–20–7–2020, 21–8–2020 एवं 14–9–2020 के साथ संलग्न स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रकिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु दिनांक 20–7–2020 , 21–8–2020 एवं 14–9–2020 में आंशिक संशोधन करते हुये स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रकिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु दिनांक 09–11–2020 परिषद स्तर पर संक्षिप्त निर्देश तैयार किये गये है, जिसे संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न निर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के कियान्वयन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(राम सिंहासन प्रेम)
प्रभारी सचिव
10/11/2020

संख्या व दिनांक उक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–14, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह अपने स्तर से भी जनपदों में स्वामित्व योजना के कार्य का पर्येवेक्षण करने का कष्ट करें।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रकिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु (09.11.2020)

1. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार सर्वेक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करेगी।
2. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जायेगी।
3. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिलाधिकारी एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र को प्रकाशित करेंगे। सर्वेक्षण हेतु ग्रामों के चयन के समय निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा–

   3.1. चयनित ग्राम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामों में से ही होना चाहिये।

   3.2. चयनित ग्राम गैर आबाद नहीं होना चाहिये।

   3.3. चयनित ग्राम, राजस्व ग्राम ही होना चाहिये अर्थात नगर निकाय आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिये।

   3.4. ग्राम की आबादी, ग्राम की पुरानी आबादी गाटा पर ही अवस्थित होनी चाहिये।

ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण का यह कार्य अभिलेख अधिकारी/जिलाधिकारी तथा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी के सतत पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अभिलेख अधिकारी/जिलाधिकारी तथा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी तैयार किये गये अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करायेंगे।

4. ग्राम आबादी में व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन हेतु **सर्वे टीमें गठित की जायेंगी।** इन टीमों में राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के कर्मचारी सदस्य होंगे। सर्वेक्षण के समय शान्ति व्यवस्था के लिये आवश्यक्तानुसार पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
5. पंचायती राज विभाग ग्राम के निवासियों को सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम सभा में बैठकें आयोजित करेगा। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभा सम्पत्ति पंजिकाओं को भी अद्ययावधिक किया जायेगा।
6. प्रथम सर्वेक्षण के समय ***सर्वे टीम*** द्वारा निम्न कार्यवाहियॉ एक साथ की जायेंगी–

   6.1. व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन चूना लाइन द्वारा की जायेगी। विवादित संपत्तियों को दोहरी चूना लाइन द्वारा दर्शाया जायेगा।

   6.2. चूना लाइनिंग के समय ही ***प्रारूप–05*** पर भी सूचनायें एकत्रित की जायेंगी तथा इन सूचनाओं को परिषद के पोर्टल पर साथ–साथ फीड कराया जायेगा।
7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन/ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियां ली जायेंगी। ड्रोन के माध्यम से ली गई छवियों की जांच भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में की जाएगी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ***आबादी मानचित्र–01*** तैयार कर सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं को अवश्य चेक कर लिया जायेगा–

8.6.1. मानचित्र–01, प्रारूप–04 व प्रारूप–05 में आबादी गाटा के अन्दर कुल भूखण्डों की संख्या समान होनी चाहिये।

8.6.2. मानचित्र–01 में कोई भूखण्ड बिना संख्याकन के नहीं होगा।

8.6.3. मानचित्र–01, में दर्शाये गये सभी भुखण्डों/घरों के आवागमन के लिये कोई एक रास्ता अवश्य होना चाहिये।

8.6.4. यदि किसी ग्राम में आबादी गाटा के अन्दर के भूखण्डों में कोई ग्राम समाज/सरकारी सम्पत्ति नहीं दर्शायी गयी है, तो सहायक अभिलेख अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा स्वंय स्थलीय सत्यापन कर इस तथ्य की पुष्टि की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रारूप–4, 5 व मानचित्र–1 का मिलान करके ही मानचित्र–1 भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किया जायेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सभी त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को समाहित करते हुये भूखण्डवार क्षेत्रफल के साथ ***आबादी मानचित्र–02*** उपलब्ध करायेगा।

8.7. प्रारूप–5 की फीडिंग पूर्ण होने के पश्चात सॉफ्टवेयर से श्रेणीवार भूखण्डों की सूची निकालकर, स्थलीय सत्यापन के समय उस सूची का मिलान व सत्यापन किया जायेगा। सरकारी भूखण्डों या सम्पत्तियो का मिलान ग्राम सभा सम्पत्ति पंजिका (यदि कोई उपलब्ध हो) से भी किया जायेगा।

8.8. ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन किया जायेगा एवं ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के पश्चात तद्नुसार ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के समय पाई गई नवीन सूचनाओं, त्रुटियों की सूची कमशः ***प्रारूप 6(1)*** पर व विवादों की सूची ***6(2)*** पर तैयार की जायेगी। ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन पूर्ण सावधानी के साथ किया जायेगा। यदि सत्यापन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

9. इस प्रकार तैयार ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** एवं ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों***, **ग्राम पंचायत सम्पत्तियों** व **30 प्रकार की संरचनाओं** का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात सत्यापन के दौरान ***प्रारूप 6(1)*** में पाई गई नवीन सूचनाओं, लिपिकीय त्रुटियों, ***प्रारूप–6(2)*** की सूचना एवं अन्य समस्त त्रुटियों के कम में संशोधित अंकन प्रारूप–07 में किया जायेगा। इसी प्रकार ***आबादी मानचित्र–02*** में उपलब्ध कराये गये भूखण्डों के क्षेत्रफल की भी प्रविष्टी प्रारूप–7 में की जायेगी। ***प्रारूप -7*** (परिषद के पोर्टल पर) तैयार किया जायेगा।

10. राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन एवं संशोधन के पश्चात तैयार ***प्रारूप -7 व आबादी मानचित्र–02*** को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सत्यापित आंकड़ों विशेषतया सरकारी व ग्राम पंचायत सम्पत्तियों में कोई त्रुटि न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** व **30 प्रकार की संरचनाओं** में पाई गई त्रुटियों व संशोधनों एवं ***आबादी मानचित्र–02*** से प्राप्त क्षेत्रफल के डेटा का अंकन ***प्रारूप–07 में*** हो गया है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया

जायेगा कि ***प्रारूप–04*** में सत्यापन के दौरान पायी गयी अंकित त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को ***आबादी मानचित्र–02*** में समाहित कर लिया गया है।

11. सत्यापित ***प्रारूप–7*** व ***आबादी मानचित्र–2*** को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

12. सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 (प्रपत्र संलग्न) एवं भू–मानचित्र–2 ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रकाशित किया जायेगा एवं 15 दिन का समय देते हुये आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। प्रपत्र–7 के प्रकाशन की, ग्राम पंचायत की खुली बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर संरक्षित की जायेगी एवं इस बैठक की तिथि का अंकन आवासीय आबादी अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में ग्राम पंचायत बैठक प्रस्ताव तिथि के रूप में किया जायेगा।

13. इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लेखपाल द्वारा ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 भू–खण्डवार, तथा प्रपत्र–8 व प्रपत्र–9 की भूखण्ड स्वामी वार प्रति, हितबद्ध व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध/तामील करायी जायेगी। प्राप्ति के साक्ष्य हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–8 की कार्यालय प्रति पर भूखण्ड स्वामी के हस्ताक्षरों सहित दो गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेगें। यदि हितबद्ध व्यक्ति नही मिल पाता है तो उद्धरण की प्रति का नियमानुसार तामिला किया जायेगा और साक्ष्य स्वरुप दो गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेगें।

14. सरकारी विभागों से सम्बन्धित आबादी भूखण्डों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7, 8 व 9 की प्रति जनपद के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजी जायेंगी। ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित आबादी भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या–7, 8 व 9 की प्रति ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान को अथवा स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को दी जायेगी।

15. समस्त आपत्तियॉ या सहमति सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 पर ही दी जायेंगी। कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर भूस्वामी की सहमति मानी जायेगी, जैसा कि प्रपत्र–8 में उल्लिखित है।

16. प्रपत्र–7 प्राप्त होने पर भू–खण्ड स्वामी द्वारा प्रपत्र–7 की बिन्दु संख्या 7.4 व 7.10 से 7.19 की प्रविष्टियों तथा मानचित्र से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 की प्रविष्टियों पर असहमत होने की दशा में साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 पर सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

17. आपत्ति प्राप्त होने पर सहायक अभिलेख अधिकारी पक्षों को सुनेगा और सुलह समझौते के आधार पर आक्षेपों का निस्तारण करेगा। सुलह की स्थिति में सम्बन्धित पक्षों के मध्य एक समझौता अभिलिखित किया जायेगा एवं उस पर सम्बन्धित पक्षों के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्राप्त किये जायेंगे। उसी अभिलेख पर सहायक अभिलेख अधिकारी अपना निस्तारण अंकित करेगा तथा इस निस्तारण का अंकन पोर्टल पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में किया जायेगा। पोर्टल पर निस्तारण के अंकन की तिथि को समझौता अभिलेख की हार्ड कॉपी में भी अंकित किया जायेगा। इस प्रकार के समस्त समझौता अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

18. विवाद सम्बन्धी आपत्तियों के निस्तारण न हो पाने पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में "विवादित" अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रपत्र–7 के बिन्दु संख्या

7.4 व 7.10 से 7.19 की प्रविष्टियों तथा मानचित्र से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 की प्रविष्टियों की लिपिकीय त्रुटियों सम्बन्धी आपत्तियॉ लंबित रहने की दशा में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में ''लंबित'' अंकित किया जायेगा।

19– सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति जिला अभिलेख अधिकारी के समक्ष 15 दिन के अन्दर त्रुटियों एवं समझौते से सम्बन्धित आपत्ति दाखिल कर सकता है। जिला अभिलेख अधिकारी, प्राप्त आपत्ति पर, त्रुटि या विवाद जैसी स्थिति हो, का केवल सुलह समझौते के आधार पर निवारण करते हुये आपत्ति निस्तारित करेगा। सभी निस्तारण, ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दर्ज किये जायेगें।

20– किसी भू–खण्ड के स्वत्व या उसके सह भूखण्ड स्वामियों कि मध्य, न्यायालय में विवाद की स्थिति में भी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 में, उसके सम्मुख अभियुक्ति स्तम्भ में में ''विवादित'' अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित द्वारा सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेने पर/आदेश हो जाने पर एवं पक्षकार द्वारा आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर तद्नुसार संशोधित प्रविष्टि का अंकन, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में किया जायेगा। सभी आदेश, ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दर्ज किये जायेगें।

21. किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में पोर्टल पर उस त्रुटि के सम्बन्धित प्रपत्र–9 के स्तम्भ को संशोधित प्रविष्टि किये जाने हेतु तब तक खुला रखा जायेगा जब जक वह त्रुटि संशोधित न हो जाये और सम्बन्धित भू–खण्ड के स्वामियों द्वारा सहमति न व्यक्त कर दी जाये। इसी प्रकार मानचित्र की त्रुटियों के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 के बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 तक की त्रुटियों के सही होने तक सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में लंबित अंकित किया जायेगा।

22. जिन भू–खण्डों के स्वामियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में विवादित या लंबित अंकित होगा, उन भू–खण्डों का प्रपत्र 10 अंतिम नहीं किया जायेगा। अन्य भूखण्डों, जिनमें विवाद या लिपिकीय त्रुटि सम्बन्धी कोई आपत्ति लंबित न हो, प्रपत्र–10 को अंतिम किया जायेगा।

23. प्रत्येक ग्राम के लिये मानचित्र–2 पर आपत्ति आमंत्रण के बाद, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 के आपत्ति निस्तारण के अनुसार संशोधन करते हुये एवं परिशिष्ट–3 के 30 प्रकार की संरचनायें दर्शाते हुये, तकनीकी एजेन्सी द्वारा ग्राम का अंतिम आबादी मानचित्र (मानचित्र–3) तैयार किया जायेगा।

24. सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये भू–खण्डवार, आपत्ति निस्तारण की प्रास्थिति के अनुसार सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में अंकन करते हुये आबादी भू–खण्डों के ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

25. सभी प्रकार के आदेशों का अंकन सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में ही किया जायेगा। सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 में किसी प्रकार के आदेश का अंकन नहीं किया जायेगा। जिन भू–खण्डों के स्वामियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में विवादित या लंबित अंकित होगा, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 में मात्र विवादित या लंबित का अंकन किया जायेगा।

26. आबादी भूखण्डों के अंतिम आवासीय अधिकार अभिलेख की पुष्टि– सहायक अभिलेख अधिकारी, सक्षम स्तर से किये गये आदेशों के आवश्यक रुपान्तरण एवं परिवर्तन के बाद, अंतिम आवासीय आबादी अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 और अंतिम भू–मानचित्र मानचित्र–3 की पुष्टि करेगा तथा अंतिम अभिलेखों के प्रकाशन की कार्यवाही हेतु अभिलेख अधिकारी (जिलाधिकारी) को प्रेषित करेगा।.

27. अभिलेख अधिकारी (जिलाधिकारी) अपनी संतुष्टि के पश्चात ग्राम को सर्वे प्रकिया से बाहर करने की अधिसूचना प्रख्यापन के लिये राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

ड्रोन सर्वेक्षण व ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु सम्पत्तियों के संख्यांकन, अभिलेख तैयारी हेतु सामान्य निर्देश

1. आबादी सर्वेक्षण कार्य के दौरान संपति धारक के नाम व अंश का निर्धारण करते समय निम्नांकित परिस्थितिया मौके पर हो सकती है:–

परिस्थिति–01– ऐसी सम्पति जहां एक मकान में एक परिवार निवासित हो, उसमें परिवार के मुखिया का नाम सम्बन्धित प्लाट नम्बर/सर्वे संख्या के साथ अंकित किया जाना चाहिये।

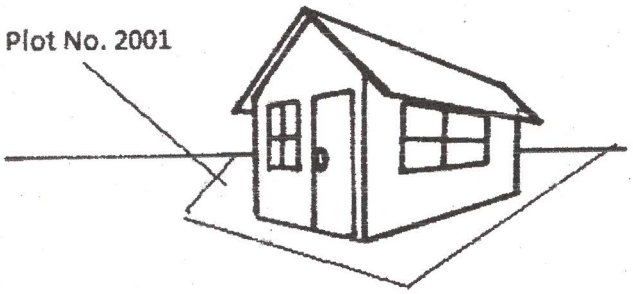

उदाहरण –प्लाट नम्बर 2001, राहुल पुत्र राजेश

परिस्थिति–02– ऐसी सम्पत्ति जहां एक मकान में एक से अधिक परिवार निवासित है, उसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम एवं हिस्सा की जानकारी सम्बन्धित प्लाट नम्बर के साथ अंकित किया जा सकता है।

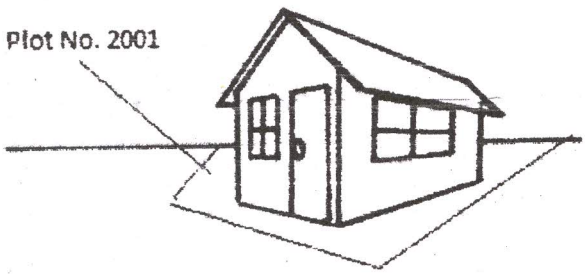

उदाहरण – प्लाट नम्बर 2001, राहुल पुत्र राजेश अंश 1/2, रवि पुत्र मोहन चन्द्र अंश 1/2

परिस्थिति–03–

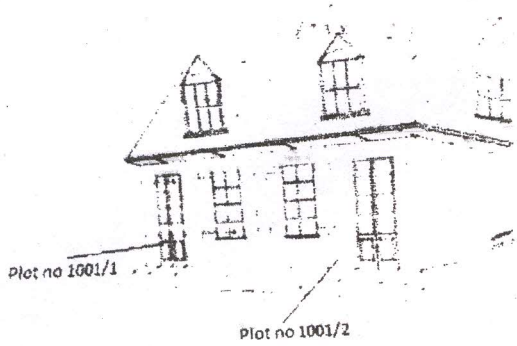

ऐसी सम्पत्ति जहां निर्मित मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते है और उनकी छत आपस में जुड़ी हुयी है, किन्तु आने जाने हेतु अलग–अलग दरवाजा है और स्थल पर उक्त सम्पत्ति को अलग–अलग सम्पत्ति के रुप में नक्शे में विभाजित कर दर्शाया जा सकता हो। प्रारुप नक्शे में ऐसी सम्पत्ति हेतु यदि एक ही प्लाट नम्बर अंकित किया गया है तो– उदाहरण – एक प्लाट नम्बर जिसमें 02 प्रथक दरवाजे है, दोनो परिवार के निकास हेतु, एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 02 प्रथक परिवार है–

प्लाट नम्बर 1001– राहुल पुत्र राजेश

प्लाट नम्बर 1002– रवि पुत्र मोहन चन्द

परिस्थिति–04–ऐसी सम्पत्ति जिसमें निर्मित मकान की छत आपस में जुड़ी हुयी है और एक से अधिक परिवार निवास करते है एवं आने जाने हेतु एक ही दरवाजा है, या एक मकान एक मंजिल में एक या अधिक परिवार एवं दूसरी मंजिल में एक या अधिक परिवार निवासरत हो, ऐसे प्लाट को शामिल सम्पत्ति माना जाकर निवासरत परिवारों के मुखिया के नाम अंकित कर हिस्सा अंकित किया जावेगा।

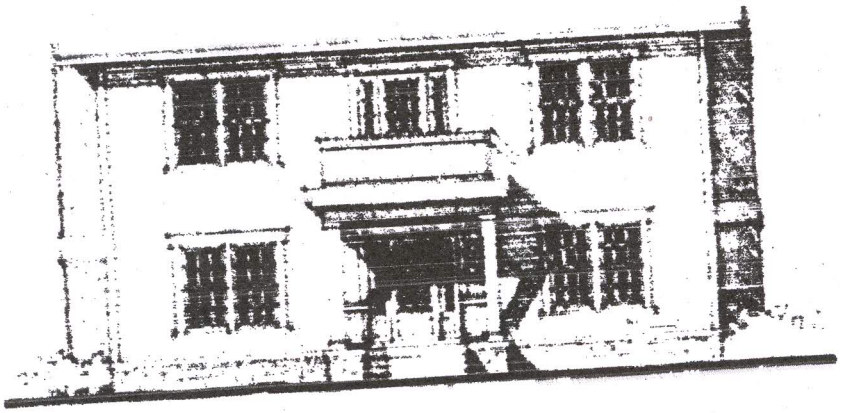

उदाहरण– प्लाट नं0 1005 जिसमें निकास हेतु एक दरवाजा है एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 03 परिवार शामिल रुप से निवासरत है, या तीनो परिवार मकान की अलग–अलग मंजिल/ हिस्से पर निवासरत हैं, वहां निम्नानुसार जानकारी अंकित की जा सकेगी :–

प्लाट नं0 1005 – राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/3, रवि पुत्र मोहन चन्द हिस्सा 1/3, अतुल पुत्र ज्ञानी हिस्सा 1/3